


291

167

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0
निगरानी प्रकरण कं0...../2012



R-2596-I/12

2094

पेस्ट आज
24-7-12 को प्राप्त

तेली पिता श्री इतवारी तेली उम्र 47 साल पेशा खेती निवासी ग्राम
मेदनीपुर तहसील रघु0 जिला सतना म0प्र0निगराकार
बनाम

- 1) रामस्वरूप तेली पिता श्री मंधीर तेली उम्र 50 साल पेशा खेती निवासी
ग्राम मेदनीपुर तहसील रघु0 जिला सतना म0प्र0
- 2) शासन म0प्र0.....गैरनिगराकारगण

अधिवक्ता श्री रविन्द्र न सिंह
द्वारा प्रस्तुत
रीता दि 24-7-2012
24/7/12

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक
19/9/2011 रा0प्रक0कं0 6अ 5/
2010-11 न्यायालय तहसीलदार
तहसील रघुराजनगर वृत्त कोठी
जिला सतना म0प्र0 के विरुद्ध ।

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रां0सं0

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

- 1) यह कि गैरनिगराकार कं0 1 रामस्वरूप पिता श्री मंधीर तेली ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निगराकार की चोरी चोरी एक आवेदन पत्र मौजा खैरीकोठार तहसील रघु0 जिला सतना म0प्र0 की अराजी नं0 41 के प्रथक प्रथक बटा नम्बरो को नक्शा मे तरमीम किये जाने के संबध मे पेश किये थे जिसमे राजस्व निरीक्षक एव पटवारी के द्वारा बिना निगराकार को सूचना दिये अपीलान्ट की चोरी चोरी आपसी हिस्सा बाट के विरुद्ध तथा मौके मे कब्जे के विरुद्ध नक्शा तरमीम करवा लिये है जिसकी जानकारी निगराकार को दिनांक 29/6/2012 को प्राप्त हुई ओर उसी दिनांक को निगराकार नकल लेने का आवेदन पत्र दिया और दिनांक 7/7/2012 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त हुई, नकल प्राप्त होने के उपरांत निगराकार के द्वारा यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष अतिशीघ्र निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही हैं।

[Handwritten signature]



नि.श. 24/7/12

134

167

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R: 2596-T/12..... जिला..... भतना

..... धुरे लक्ष्मी विरुद्ध रामेश्वररूप लक्ष्मी

1	2	3
<p>161-19-</p>	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... <u>शिवनन्दन सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह नम्बर तहसीलदार तहसील..... <u>शुभराजनागर</u> के प्रकरण क्रमांक..... <u>6/37-5/2010-11</u> में पारित आदेश दिनांक..... <u>19.09.11</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... <u>भतना</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>20.03.19</u> को कलेक्टर..... <u>भतना</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>सदस्य</u></p>	